न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **05/2015** आवंटन निरस्ती

श्री कन्हैयालाल पिता नाथू गुर्जर निवासी बलीचा बाई पास चौराहा, हाल काया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता भॅवरलाल गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गणेशीबाई पत्नि श्री देवीलाल गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः
1. श्री अपीलार्थी स्वयं
2. श्री गणेशलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार विपक्षी संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—27.02.18

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा काया तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 3500 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता श्री भॅवरलाल गुर्जर एंव विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गणेशीबाई पत्नि श्री देवीलाल गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा को दिनांक 01.06.02 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई। उक्त आवंटन से क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने

हेतु निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 20/08 प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती निर्णय दिनांक 28.11.11 से विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

विपक्षीगण द्वारा उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 73/2012 उदयपुर ऑर्डर निर्णय दिनांक 18.08.15 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.11.11 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः इन निर्देशो के साथ में प्रतिप्रेषित किया गया कि आवंटी अपीलान्ट को आवंटन कार्यवाही दिनांक 02.08.03 से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देकर मौके व कब्जे व शर्तो की पालना रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का अजसरेनो निर्णय पारित किया जावें।

प्रकरण न्यायालय को पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेशलाल नागदा द्वारा उपस्थित होकर जवाब व अभिलेख प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में अब मेरे प्रार्थना पत्र नियम 14(4) पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हुॅ। न्यायालय जो भी उचित समझे गुणावगुण पर आदेश पारित करें। नये सीरे से मुझे कुछ भी नहीं कहना हैं। मेरे प्रार्थना पत्र को ही बहस माना जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 की ओर से निवेदन किया गया कि मौजा बलीचा व काया उदयपुर सिटी से मिला हुआ हैं। उक्त गॉव में स्थित खातेदारी कृषि भूमियॉ भी अधिकतर प्रोपर्टी डिलरो द्वारा क्रय की जाकर भूखण्ड विक्रय किये जा रहे हैं। विपक्षी को आवंटीत भूमि भी काफी किमतन

भूमि हैं। जो काश्त योग्य नहीं होकर पहाड़ी क्षेत्र हैं। आवंटी काया का निवासी नही हैं। भूमि को काबिल काश्त बनाने अथवा आवंटन नियमो की पालना कर दी गयी हो ऐसा कोई भी दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने निर्णय में दिये गये आदेश की पालना भी आवंटी द्वारा नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी को किया गया आवंटन खारीज फरमाया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी 1 व 2 द्वारा अपने कथन में बताया कि जब प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। विपक्षीगण को आवंटन विधिवत आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हैं। विपक्षीगण सद्भाविक काश्तकार हैं। उसके द्वारा आवंटित भूमि को विधिवत काबिल काश्त बना दी गई हैं। मौके पर कब्जा भी आवंटी का ही हैं। मौजा काया में आवंटी के नाम से कुल 2.6650 हैक्टर भूमि खाते दर्ज हैं। जो भूमिहीन की श्रेणी में आती हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी एक ही परिवार के होकर व्यक्तिगत रंजिशवश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियमन 1970 को निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन फार्म पर आदेश एडवाईजर कमेटी का अवलोकन करने पर अध्यक्ष समेत पुर्ण कोरम से आवंटी देवीलाल को भूमि का आवंटन किया गया हैं। पटवारी द्वारा भी यह स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि आवंटित भूमि सड़क से 4 किलोमीटर दूर हैं। रेकार्ड में काबिल काश्त दर्ज हैं। आवंटी सद्भाविक कृषक हैं। वह भूमि आवंटन की पात्रता भी रखता हैं। स्वयं प्रार्थी भी प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। 15 वर्ष के पश्चात् आवंटन को निरस्त किया जाना भी न्यायोचित नहीं हैं। यदि इस भूमि पर अन्य किसी के द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है तो वह महज अतिक्रमी हैं। वह भूमि को प्राप्त करने की अधिकारीता नहीं रखता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा काया तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 3500 मे रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता भॅवरलाल गुर्जर एवं विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गणेशीबाई पत्नि श्री देवीलाल गुर्जर को किया गया आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा एवं तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर